



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072021-228054
CG-DL-E-01072021-228054

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2464]
No. 2464]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 2021/आषाढ़ 10, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 2021/ASHADHA 10, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2021

का.आ. 2656(अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीचे दी गई अनुसूची में यथा- विनिर्दिष्ट भूमि के खंड के सम्बंध में बिहार राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग 110 के किमी० 71 में पुनपुन नदी पर उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल के निर्माण कार्य कार्य में अप्रोच पथ के निर्माण अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6), (7) में क्रमशः उल्लेखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से संबंधित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3), की तत्स्थयी प्रविष्ट भूखंड के सम्बंध में अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

बिहार राज्य के अरवल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 110 के किमी० 71 (किंजर) में पुनपुन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण कार्य के बाबत अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, अरवल	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH110 के कि.मी. 71 से 71 तक	बिहार	अरवल	करपी	1 किंजर

[फा. सं. RW/PAT/NH-110/KM-71/Kinjar/LA/2021]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2021

S.O. 2656(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for the stretch of land in Km. 71 (Kinjar) of the NH-110 for Construction of New HL RCC Major Bridge over Punpun River in Km 71 (Kinjar) of the National Highway No-110 in the State of Bihar.

SCHEDULE

Acquisition of land with or without structure in respect of Construction of HL RCC Major Bridge over Punpun river in Km. 71 (Kinjar) of National Highway No-110 in Arwal District in the State of Bihar

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	District Land Acquisition Officer, Arwal	71KM To 71KM	BIHAR	ARWAL	Karpi	1 Kinjar

[F. No. RW/PAT/NH-110/KM-71/Kinjar/LA/2021]

RAJESH GUPTA, Director